● Publishing Date : August 31, 2018 ● Total Number of Pagesaa : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 अगस्त, 2018 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 15, अंक : 3

संगठन ही शक्ति है

आगरा मीटिंग जुलाई, 2018 का दीप प्रज्ज्वलन मुख्य अतिथि व शीतगृहस्वामियों के साथ

बन्धुवर,

अगस्त माह में सारे उत्तर प्रदेश में विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी वर्षा के समाचार मिल रहे है। इस से आशा की जा रही है कि आगे आने वाली आलू की फसल भी अच्छी होगी। अतः हम शीतगृहस्वामियों से यह कहना चाहेंगे कि वह नवम्बर माह में आलू की ब्रिकी पर ज्यादा आधारित ना रहे। हो सकता है तब तक लोकल पंजाब का आलू तेजी से आने लगे और बाजार को खराब →

करें। उचित तो यही रहता है कि भण्डारित आलू 31 अक्टूबर तक पूरी तरह निकल जाए, क्योकि जब तक नई फसल की सम्भावना ना के बराबर होती है, केवल बीज का आलू ही स्टोरों में रहे तो ठीक है, जो कि थोड़ा–थोड़ा करके जब जैसी जरूरत हो निकाल लिया जाए। इसलिए अभी से आलू का थोड़ा–थोड़ा बेचते रहना ही उचित रहेगा।

दक्षिण में अधिक वर्षा के कारण, इस समय होने वाली फसलों का उत्पादन काफी कम हो गया है और इसलिए वह बाजारो में विशेष प्रभाव नहीं डाल पा रहे है।

अभी वर्षा के कारण रास्तों में भी रूकावटे आ रही है, जिस कारण दूर तक आलू पहुँचने के काफी कठनाई हो रही है। नदियों में बाढ आ रही है, इस कारण हरी सब्जियाँ बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुई है। इस कारण आलू की माँग अच्छी बनी हुई है और आलू की ब्रिकी पर दक्षिण की फसलो का प्रभाव अधिक नहीं पड़ रहा है, केवल यह हो रहा है कि आलू के भाव माँग को देखते हुए बढ नहीं पा रहे है। आशा है कि भविष्य में आलू के भाव कुछ ठीक तो जरूर होगे लेकिन अक्टूबर माह में आगे तक उठे हुए भाव ठहर पाए यह सम्भव नहीं लगता। पश्चिमी बंगाल में भी निकासी की मात्रा बहुत बढ़ गई है और वह बहुत तेजी से आलू अन्य प्रदेशों में भेज रहे है, इस का असर बिहार और उत्तर प्रदेश की मण्डियों पर विशेष रूप से पड़ रहा है।

आप सब अपने शीतगृह के संचालन पर भी विशेष ध्यान दे। अधिक वर्षा के कारण, जगह जगह हो सकता है कि कक्षो में बरसात का पानी टपक रहा हो। जिस दिन भी बरसात रूके उसे अवश्य चेक करवाये की कहाँ कहाँ पानी टपका है और उसे रोकने का उपाय करें। कई कक्षों में तो यह पाया गया है कि Water Table यानि जमीन का पानी का स्तर उठ जाने के कारण नीचे से पानी कमरे में आ जाता है। यदि ऐसा हुआ है तो आप घबराए नहीं, फौरन पम्प लगा कर पानी को निकालने की व्यवस्था करें। ऐसे पानी के आ जाने से दो चीजे होती है, एक तो कमरे में भण्डारित किया हुआ पदार्थ भीग जाता है दूसरे कमरे में आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है।

भीगे हुए आलू के बोरों को फौरन बाहर निकाल कर शेड में सूखाने की व्यवस्था करें और फिर कमरे में लोड करवा दे। आर्द्रता बढ़ जाने की दशा में ध्यान रखे कि कमरे में कही पर पानी इकट्ठा ना हो पाऐ, जैसे बंकर क्वालय की ट्रे में इकट्ठे पानी को फौरन निकालने की व्यवस्था करें। यदि हो सके तो एक बार पल्टाई और करवा दें और जहाँ तक हो आलू को दूर–दूर जगहों या बाँटकर रखे, जिससे ठण्डी हवा का संचालन अच्छी प्रकार हो सके और अधिक आर्द्रता के कारण आलू में अंकुरण ना होने पाए।

कुछ ही दिनों के बाद आलू की निकासी बहुत बढ जाऐगी जिस कारण अधिक सूखाने की जगह की आवश्यकता होगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था रखें। आलू सूखाने वाले पंखो की अभी से सही अवास्था में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

→

अभी तक अग्निशमन के बारे में मीटिंग नहीं हो पाई है, वह किसी भी दिन सम्भव है और हम आशा करते है कि सितम्बर माह के पहले सप्ताह से पहले ही अग्निशमन के नए नियम जो की शीतगृहो के लिए ही होगे बन जायेंगे।

आगरा में हुई फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया वा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में :–

जैसा कि आप को विदित ही होगा कि दिनांक 25/26/27 जुलाई, 2018 को होटल Courtyard by Marriott, Agra में उपरोक्त मीटिंग का आयोजन किया गया था।

अधिकांश सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था Marriott होटल में ही की गई थी और इस तरह करीब करीब पूरा होटल ही बुक कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त भी करीब 80 कमरे दूसरी होटल के लेने पड़े। अपने सदस्यो की वा अन्य प्रान्तो से आए हुए शीतगृहस्वामियो की उपस्थिति से हम बहुत उत्साहित है। हम सबको धन्यवाद देते है कि इतनी बड़ी संख्या में शीतगृहस्वामी दूर दूर से पहुँचे और इस वार्षिक मीटिंग को सफल बनाया। सदस्यों के खाने की व्यवस्था वा मुख्य मीटिंग की व्यवस्था Marriott होटल में ही की गई थी जबकि मशीनरी उत्पादको आदि के स्टाल की जगह होटल के बराबर में थी। एक शादी लॉन में अपने Hangar लगवा कर की गई थी।

25 जुलाई 2018 को सुबह से ही सदस्यों का आना शुरू हो गया। शाम को एक प्रेस कान्फ्रेंस की व्यवस्था थी और उसके बाद एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह सभा रात्रि भोजन के बाद समाप्त हो गई।

दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता का एक दृश्य →

26 जुलाई, 2018 को माननीय दारा सिंह चौहान, कैबिनट मंत्री, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, वा प्रोफेसर (डाक्टर) राम शंकर कठेरिया की उपस्थिति विशेष सराहनीय रही। हमारे अतिथियो ने इस मीटिंग के प्रबन्ध को सराहा वा भरपूर आर्शीवाद दिया। हमें यह भी विश्वास दिलाया गया की शीतगृह के सम्बन्ध में अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता रहेगी तो वह सदैव तत्पर रहेगे। शाम को 5:30 बजे विशेष रूप से Technical Session हुआ जिसे श्री अरविन्द अग्रवाल ने संचालित किया। श्री मुकेश अग्रवाल ने सबका धन्यवाद दिया। पूरे दिन के कार्यकमो की समाप्ति रात्रि भोज के साथ की गई।

माननीय दारासिंह चौहान, उद्यान मंत्री का स्वागत करते हुए शीतगृहस्वामी

27 जुलाई, 2018 को प्रोफेसर एस.पी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री, पशुधन, लघु, सिचाई, मत्सय, हमारे मुख्य अतिथि थे। जिनके ओजस्वी भाषण से बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने सौर्य ऊर्जा पर शीतगृहों को हर तरह से मदद देने का वायदा किया। दोपहर के भोजन के बाद सारे प्रदेशो के प्रदेश अध्यक्षों ने आलू पर विस्तृत चर्चा की और अपने यहाँ की आलू भन्डारण की स्थिति पर प्रकाश डाला। एक लकी ड्रा के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। चाय के बाद 6:30 बजे सायं 27 जुलाई, 2018 का कार्यक्रम सम्पूर्ण हुआ।

→

प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, मंत्री, पशुधन लघु सिंचाई द्वारा दीप प्रज्ज्वलन दिनांक 27.7.18

पूरी मीटिंग व प्रदर्शनी का आयोजन श्री राजेश गोयल जो कि अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं के नेतृत्व में हुआ। पूरा आयोजन सराहनीय रहा। हम यहाँ पर इस आयोजन के मीटिंग हॉल का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

मीटिंग हॉल का एक दृश्य

माननीय प्रो. राम शंकर कठेरिया व माननीय दारा सिंह चौहान, उद्यान, वन एवं पर्यावरण व जल धन मंत्री, शीतगृहस्वामियों को अवार्ड देते हुए

(6) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अगस्त, 2018

26 व 27 जुलाई, 2018 की आगरा मीटिंग के कुछ दृश्य

Negotiable Instruments Act में बदलाव–

सन् 1881 के Negotiable Instruments Act में बदलाव किया गया है। इस में वह दस्तावेज आते है जिन को दो पार्टियो के बीच में किसी व्यापारिक सौदे या करार के बीच दिया जाता है। किसी भी भुगतान के या गिरवी आदि रखने के बारे में जैसे कोई भी पार्टी किसी को चेक Issue करती है और वह चेक फेल हो जाता है उसके सम्बन्ध में। यहाँ हम यह भी बता दे कि कोल्ड स्टोरेज में आलू भन्डारण की रसीद भी Negotiable Instruments Act के अर्न्तगत आती है। यह हमें अग्रेंजी में प्राप्त हुआ है इसलिए हम ऐसे का ऐसा ही प्रस्तुत कर रहे है। आप किसी वकील को दिखाकर परामर्श कर सकते है।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 2nd August, 2018/Shravana 11, 1940 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 2nd August, 2018, and is hereby published for general information :–

THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT) ACT, 2018
NO. 20 OF 2018

[2nd August, 2018.]

An Act further to amend the Negotiable Instruments Act, 1881.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018. — Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Negotiable Instruments Act, 1881 (hereinafter referred to as the principal Act), after section 143, the following section shall be inserted, namely :— — Insertion of new section 143A. Power to direct interim compensation.

"143A. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the Court trying an offence →

under section 138 may order the drawer of the cheque to pay interim compensation to the complainant —

(a) in a summary trial or a summons case, where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint; and

(b) in any other case, upon framing of charge.

(2) The interim compensation under sub-section (1) shall not exceed twenty per cent. of the amount of the cheque.

(3) The interim compensation shall be paid within sixty days from the date of the order under sub-section (1), or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the drawer of the cheque.

(4) If the drawer of the cheque is acquitted, the Court shall direct the complainant to repay to the drawer the amount of interim compensation, with interest at the bank rate as published by the Reserve Bank of India, prevalent at the beginning of the relevant financial year, within sixty days from the date of the order, or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the complainant.

(5) The interim compensation payable under this section may be recovered as if it were a fine under section 421 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) The amount of fine imposed under section 138 or the amount of compensation awarded under section 357 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall be reduced by the amount paid or recovered as interim compensation under this section.".

3. In the principal Act, after section 147, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 148

"148. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, in an appeal by the drawer against conviction under section 138, the Appellate Court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of twenty per cent. of the fine or compensation awarded by the trial Court :

Power of Appellate Court to order payment pending appeal against conviction.

Provided that the amount payable under this sub-section shall be in addition to any interim compensation paid by the appellant under section 143A.

(2) The amount referred to in sub-section (1) shall be deposited within sixty days from the date of the order, or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the appellant.

(3) The Appellate Court may direct the release of the amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of the appeal :

Provided that if the appellant is acquitted, the Court shall direct the complainant to repay to the appellant the amount so released, with interest at the bank rate as published by the Reserve Bank of India, prevalent at the beginning of the relevant financial year, within sixty days from the date of the order, or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the complainant.".

DR. G. NARAYANA RAJU
Secretary to the Govt. of India

कार्यकारी अध्यक्ष का मनोनीत किया जाना

हमें यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमने श्री राजेश गोयल को जो कि फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया में अवैतिनिक सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे, फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। अभी हम अध्यक्ष हैं, लेकिन अधिकांश कार्य भार श्री राजेश गोयल ही देखेगे। नीतिगत विषयों, आर्थिक विषयों व लखनऊ में सरकारी दफ्तरों से संपर्क आदि हम देखते रहेंगे।

श्री राजेश गोयल बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और उन्होने वर्ष 2018 की आगरा की मीटिंग में अपनी कार्यक्षमता को पूरी तरह से साबित कर दिया है। आगरा में जिन विषम परिस्थितियो में उन्होंने इस मीटिंग को सफलतापूर्वक निभाया, वह एक सराहनीय कार्य है, यद्यपि, इस में और सदस्यों का भी सहयोग रहा, जैसे श्री मुकेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष, दिल्ली ने भी बहुत सराहनीय सहयोग दिया।

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव के पद पर मनोनीत किया जाना

अभी तक कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव पद पर किसी को मनोनीत नहीं किया गया था। दो सचिव बनाए गए थे, एक सचिव पश्चिमी वा दूसरा सचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोनो पर आपस में सामंजस्य लाने के लिए और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली को और सुधारने के लिए, हमने श्री अरविन्द अग्रवाल, सराव कोल्ड स्टोरेज, इलाहाबाद को अवैतनिक सचिव पद पर मनोनीत किया है। आशा है, श्री अरविन्द अग्रवाल इस पद के कार्यभार को सफलतापूर्वक निभायेगे और एसोसिएशन को प्रगति की ओर ले जायेंगे।

→

फेडरेशन के अधिकांश प्रदेश अध्यक्षों का स्वागत

Felicitation of Shri Rajesh Goyal by National Chamber of Industries, Agra

फेडरेशन द्वारा शव वाहन का दान :

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डियॉ ने किर्लोस्कर कम्पनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक शव वाहन का दान किया है। यह दान आगरा की श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी जो एक यह बहुत पुरानी एन.जी.ओ. है।

इस वाहन का मूल्य करीब 12 लाख रूपए है जिसमें 6 लाख रूपया फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया ने दिया है व 6 लाख रूपया किर्लोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी लिमिटेड ने दिया है। इस अवसर पर किर्लोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन, श्री राहुल किर्लोस्कर अपनी पूरी टीम जिसमें उनके वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने और अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया ने शीतगृस्वामियों के साथ इस वाहन की चाभी श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी को सौंपी।

फेडरेशन के नए कार्यकारी अध्यक्ष

श्री राजेश गोयल

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित